# बिहार सरकार
## शिक्षा विभाग
### आदेश

पटना, दिनांक–03/02/2026

संचिका संख्या–03–आ.–01–49/2022.1/357908/ श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध निदेशक प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पीत पत्र द्वारा आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक कार्रवाई संचालित करने हेतु उपलब्ध कराया गया।

2. श्री सुरेश चौधरी के विरूद्ध गठित आरोपों में श्री राम नरेश कुमार, तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 (समय समय पर यथा संशोधित) के नियम–17 में किए गए प्रावधान के तहत नहीं किया जाना तथा बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली–1976 के नियम 3 (1) एवं (3) का उल्लंघन किया जाना प्रतिवेदित है।

3. श्री सुरेश चौधरी के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–362 दिनांक–15.06.2022 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी.) के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी ।

4. संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री चौधरी के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें श्री चौधरी के उपर लगाये गये आरोप प्रमाणित पाये गये।

5. प्रमाणित आरोप के आलोक में श्री चौधरी से लिखित अभ्यावेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। श्री सुरेश चौधरी द्वारा अपना लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

6. विवेचना में यह ज्ञात होता है कि जिन आरोपों के लिए श्री चौधरी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित है–

a. वे आरोप, वर्ष–2009 (दिनांक–17.09.2009 को समर्पित जांच प्रतिवेदन के आलोक में) की अवधि के हैं।
b. श्री चौधरी दिनांक 31.01.2021 को सेवानिवृत्त हो गये हैं।
c. इनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संकल्प संख्या–362 दिनांक 15.06.2022 द्वारा प्रारंभ की गयी। विदित है कि बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43 (बी) के तहत कार्यवाही उन्हीं मामलों में की जा सकती है जिनमें आरोप की वास्तविक घटना 4 वर्षों से ज्यादा पुरानी नहीं हो।
d. इनका प्रथम पेंशन के रूप में विभागीय पत्रांक–737 दिनांक–24.08.2021 द्वारा पेंशन एवं उपदान स्वीकृत किया गया है, अर्थात् ऐसी स्वीकृति का तीन वर्ष से अधिक की अवधि व्यतीत हो गयी है। इसके साथ ही विभागीय पत्रांक–1017 दिनांक–27.10. 2021 द्वारा 300 (तीन सौ) दिनों के उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

e. इससे जुड़े एक अन्य पदाधिकारी श्री नसीम अहमद (पुराने मामले के प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी) के विरुद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को विभागीय संकल्प सं0–83030 दिनांक–13.10.2023 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

7. अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी समीक्षा में यह मामला बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) एवं नियम–139 के अंतर्गत कार्रवाई हेतु कालबाधित पाया गया है। सेवानिवृत आरोपी पदाधिकारी के एक अन्य मामले में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का यह परामर्श प्राप्त हुआ है कि सेवानिवृत सरकारी सेवकों के विरूद्ध कार्रवाई करने के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) एवं नियम 139 के अतिरिक्त कोई अन्य वैधानिक प्रावधान नहीं होने के कारण कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है।

8. अतः उपर्युक्त विवरण के अनुरूप श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, मुजफ्फरपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध आलोच्य विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 (बी) एवं नियम–139 के अंतर्गत कालबाधित होने के कारण समाप्त किया जाता है।

9. उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

**(मनोरंजन कुमार)**
निदेशक (प्रशासन)।

ज्ञापांक:–03–आ.–01–49 / 2022–I/357908/ पटना, दिनांक:– 03/02/2026

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना / माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना / सभी निदेशक, शिक्षा विभाग / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना / सभी कोषागार पदाधिकारी / क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर / जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 / श्री सुरेश चौधरी, तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर, सम्प्रति सेवानिवृत्त पत्राचार का पता–मुकुन्द कुँज एर्पाटमेन्ट (कृष्णा ब्लॉक) फ्लैट नं0–38, महात्मा गाँधी नगर, पटना, जिला–पटना पिन कोड–800026 मो0–9470811189 एवं आई.टी. मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Signed by
Manoranjan Kumar
Date: 02-02-2026 18:43:19
निदेशक (प्रशासन)।